

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/छात्रावास मैस/निविदा 2025–26

दिनांक:— 28–08–2025

निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी वर्ष 2025–26 के लिए महिला छात्रावास में भोजन आपूर्ति देते निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वि०वि० की वेबसाईट [www.hnbgu.ac.in](http://www.hnbgu.ac.in) के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि०वि० की वेबसाईट [www.hnbgu.ac.in](http://www.hnbgu.ac.in) से दिनांक 15.09.2025 सायं 4.0 बजे तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

एक निविदा कर्ता केवल एक ही मैस (महिला अथवा पुरुष) के लिए ही निविदा कर सकता है।

निदेशक कार्यालय के छात्रावास अनुभाग में सील/बन्द निविदा लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 15.09.2025.0 के सायं 5.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 17.09.2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा।

निदेशक

३० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
स्तरीय रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल  
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)  
दिन- 249199

स्योंजक/ उप-छात्रावास अधीक्षक

उप-छात्रावास अधीक्षक  
३० न० ब० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय  
स्तरीय रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल  
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)  
पिन-249199

कार्यालय निदेशकः— हे०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/निविदा 2025-26

दिनांक:- 28-08-2025

भोजन निविदा-प्रपत्र  
वित्तीय वर्ष-2025-26

निविदा प्रपत्र के चार भाग हैं।

- (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्दश एवं शर्त  
(ख) साप्ताहिक भैनू  
(ग) तकनीकी बिड  
(घ) वित्तीय बिड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तेः—

- स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी की छात्रावास समिति परिसर प्रशासन द्वारा छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से महिला छात्रावास के लिए सील/बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख), तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ठ पर सहमति (क), हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए-4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा। तथा वित्तीय बिड प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक निविदा के लिए एक बड़ा ए-4 साईज एवं एक छोटा लिफाफा शील्ड बन्द कर देना होगा जिसके बाहर निविदा दाता का नाम पता एंव मोबाइल फोन लिखना आवश्यक है। सर्व प्रथम तकनीकी निविदा दाता का नाम पता एंव मोबाइल फोन लिखना आवश्यक है।
  - निविदा दाता निविदा फार्म को दिनांक 15.09.2025 सायं 5.00 बजे तक शील्ड/बन्द लिफाफे परिसर छात्रावास कार्यालय ब्लाक 03 कक्ष स0 211 में जमा करवा देवें। निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 17.09.2025 को प्रवाह्न 11.00 बजे खोली जायेंगी।

(नोट:- महिला छात्रावास में 96 छात्राओं की रहने की क्षमता है । वर्ष 2024-25 में महिला छात्रावास में 85 छात्राओं का प्रवेश रहा )

3. निविदा कर्ता /ठेकेदार/मैस संचालक को प्रत्येक माह छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी। छात्राओं को संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार ही महिला छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी, जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
  4. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक है।
  5. बाल गंगा महिला छात्रावास में माह मई 2026 ग्रीष्मावकाश अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करनी होगी।

6. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में रु0 5000. 00 का डिग्राप्ट / बैंकर्स चैक जो निदेशक एस0आर0टी परिसर बादशाहीथौल के पक्ष में सलंगन करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवैटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिग्राप्ट /एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी ।
7. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर रु0 3.0 (तीन लाख मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ0डी0आर /टी0डी0आर निदेशक है0न0ब0ग0विय0 परिरार बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही मैस संचालक ठेकेदार को रु0 100.00 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । रात्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/ऑफर लेटर जारी किया जायेगा । निविदा कर्ता /ठेकेदार को मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।
8. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि 3.0 (तीन लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रु0 5000.00 डिमाण्ड ड्राप्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
9. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भटटी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन (जैसे डोंगा, चम्च, हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से ) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी, दाल, चावल, आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
10. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन समय-2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी । छात्रावास समिति कभी भी स्टोर में खाद्य सामग्री की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र है सामग्री अनुप्रयुक्त पाये जाने पर तत्काल बदलनी होगी ।
11. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे । (महिला छात्रावास में 05 कर्मचारी रखने होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो ) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी । कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेंगे । कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा । अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा । मैस संचालक के सभी कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस होनी आवश्यक है । छात्रावास में मैस कर्मचारियों की संख्या कम होने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रु0 200.00 (दो सौ) की दर से अर्थदण्ड देना होगा ।
12. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी । डायनिंग हाल में टूट-फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा ।

13. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। मैस ठेकेदार को मैस का किराया रु0 2500.00, विधुत बिल का फिक्स किराया रु0 2000.00 प्रति माह एवं पानी का फिक्स बिल रु0 500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रु0 5000.00 (पाँच हजार मात्र) प्रत्येक माह की 10 तारिख तक स्वयं छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा।

14. अस्वस्थ छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (मैस संचालक) के द्वारा करनी होगी।

15. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलायी जायेगी। बचे भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।

16. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की दी जायेगी।

17. परिसर में अधिकारिक अवकाश एक सप्ताह से अधिक (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा।

18. निविदादाता के लिए परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर रु0 130.00 प्रतिदिन प्रतिछात्र निर्धारित की गयी हैं। दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।

19. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के भोजन भुगतान अथवा कटौती के लिए छात्रावास समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

20. निविदादाता को संलग्न मैनू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्रा के लिये देनी होगी।

21. ठेकेदार को शासकीय नियम अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा।

22. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों एवं पुलिस सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी मैस कर्मचारी द्वारा छात्रावास मैस में नशा या धूम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा। मैस संचालक को अपने कर्मचारियों को आई0 कार्ड0 निर्गत करना होगा जिसे मैस कर्मचारी सदैब अपने गले धारण करेंगे।

23. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यहीं प्रक्रिया अपनानी होगी। कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी।

24. किसी पाली विशेष में मैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर गुगतान रो कटौती की जायेगी और ऐसी गम्भीर शिकायत तथा अव्यावरण के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ड्रेवट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।
25. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
26. मैस की नालियों चोक होने पर तथा गड्ढे भरने पर, नालीयों तथा गड्ढे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्चे पर करना होगा।
27. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा।
28. परिसर प्रशासन एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
29. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को बिना कारण बताए टेण्डर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
30. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैस संचालक का होगा।
31. फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन निविदादाता को भैतिक रूप से समिति के समुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध (जी0एस0टी पंजीकरण) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो।
- (d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/शैक्षणिक संस्था में (गत दो वर्षों 2023–24 एवं 2024–25) मैस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।
- (e) स्थायी आयकर संख्या (PAN CARD) की छायाप्रति।
- (f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिट्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।

- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹ 5000.00 का बैंक ड्राप्ट निदेशक है ०१०८०८०५०५०५० बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (h) निविदादाता के पास मैस संचॉलन कार्यों में पिछले 02 वर्षों में न्यूनतम ट्रनओवर पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी०ए० द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं ट्रनओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ,इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा।
- (k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी (निविदादाता की) इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।
- नोट:- निविदादाता को कम संख्या ,I,j,k तक के शपथ पत्रों को एक ही स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।

  
निदेशक  
निदेशक

३० न० ८० गढ़वाल विश्वविद्यालय  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल  
ठिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)  
मिन- २००१०९

  
Dr. Hemant Singh

संयोजक/उप-छात्रावास अधीक्षक  
उप-छात्रावास अधीक्षक  
है० न० ८० गढ़वाल विश्वविद्यालय  
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल  
ठिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)  
पिन-249199

प्रपत्र (ख) 2025-2026

कार्यालय निदेशक:- है०न०ब०ग०विं०विं०परिसर बादशाहीथौल  
छात्रावास भोजन मैन्यू

टिहरी(टि०ग०)

दिन/वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 बजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू टमाटर की सब्जी रोटी एवं पूरी, चाय	राजमा, चावल, रोटी, सब्जी खीर, सलाद	सायं की चाय के साथ रिनैक्स अधिकतम रु० 5.00 के मुल्य का	मल्का दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
सोमवार	आलू गोभी, परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा, चाय	कड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड़द छिलका दाल, भिण्डी की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद
बुद्धवार	छोले भट्ठे, चाय	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कडाई पनीर, आलू बीन की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
बृहष्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा, अचार दही, चाय	उड़द राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
शुक्रवार	उबले आलू टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पूरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी, रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी चावल, सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाड़ी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल, आलू पालक की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, बैंगन भर्ता, चावल रोटी, सलाद

नोट:- 1- प्रत्येक बुद्धवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कडाई पनीर)

2- मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती हैं, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3- प्रत्येक दिन सलाद में मूली, प्याज, गाजर या खीरा या अन्य सामान्य जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4- छात्र/छात्रा की बीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5- सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 बजे प्रतिदिन चाय देनी होगी।

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौलटिहरी(टि०ग०)

तकनीकि बिड

8. निविदादाता का नाम.....  
9. पता.....  
फोन न० कार्यालय.....मोबाइल न०.....  
10. फर्म का नाम व पता.....  
.....  
11. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G.S.T Number).....  
(नियम शर्तों के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)  
12- स्थाई आयकर खाता संख्या(PAN NO)-----  
नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिट्टन का प्रमाण पत्र तथा Pan Card की छाया प्रति संलग्न करें  
13- धरोहर राशि का विवरण  
(क) बैंक ड्राएट / एफ०डी०आर० न० / बैकर्स चैक.....(ख) दिनांक.....  
(ग) धनराशि.....  
14. कार्य अनुभवः— (नियम शर्तों के अनुसार).....  
संलग्न का विवरण 1. 2  
3. 4  
5.. 6.  
7. 8.

दिनांक:

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

व पूरा पता:

प्रपत्र— (घ)

कार्यालय निदेशक:— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

वित्तीय विड 2025-2026

महोदय,  
मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मैनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भौति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र ) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रूपये (अंकों में)..... शब्दों में ..... .....

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता.....

नाम:—

पता:—

मोबाइल न०:—